अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा
(डी.आई.पी.पी.)

अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य
(जुलाई 2021)

बी.एल.ई.–001 : भारतीय विधि व्यवस्था का परिचय
बी.एल.ई.–002 : कानून का परिचय
बी.एल.ई.–003 : विधि और संवेदनशील समूह
बी.एल.ई.–004 : ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

इग्नू
जन-जन का विश्वविद्यालय

विधि विद्यापीठ

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110 068

अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा (डी.आई.पी.पी.)

प्रिय विद्यार्थी,

विश्वविद्यालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके द्वारा चुने गए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपको एक सत्रीय कार्य पूरा करना है।

आप पाएंगे कि सत्रीय कार्यों में दिए गए प्रश्न विश्लेषणात्मक (analytical) और वर्णनात्मक (descriptive) हैं ताकि आप अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जान और समझ सकें।

यह महत्त्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निकटतम शब्द-सीमा में होना चाहिए। स्मरण रहे कि सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा और आप सत्रांत परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

स्त्रीय कार्य जमा कराना

आपको अपने अध्ययन केंद्र के संचालक (Co-ordinator) के पास सत्रीय कार्य जमा कराने हैं। आपको जमा कराए गए सत्रीय कार्यों के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य लेनी चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए। आप जो सत्रीय कार्य जमा कराएं, कृपया उसकी फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें।
मूल्यांकन करने के बाद, अध्ययन केंद्र आपको सत्रीय कार्य लौटा देगा। कृपया जाँचे गए सत्रीय कार्यों के लिए आग्रह कीजिए। अध्ययन केंद्र इग्नू स्थित विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, नई दिल्ली को अंक भेजेगा।

आपको अपने अध्ययन केंद्र में नीचे लिखे अनुसार सत्रीय कार्य जमा कराने हैं :
जनवरी के लिए 30 सितम्वर,2021
जुलाई के लिए 30 मार्च,2022 तक

सत्रीय कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश

हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्रीय कार्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। आपको इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा :

1) **योजना :** सत्रीय कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन इकाइयों का अध्ययन कीजिए जिन पर वे आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ बिंदु तैयार कीजिए और फिर उन्हें तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

2) **आयोजन :** अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार करने से पहले थोड़ा चयन और विश्लेषण कीजिए। प्रश्न की प्रस्तावना (परिचय) और निष्कर्ष पर पर्याप्त ध्यान दीजिए।

यह सुनिश्चित कर लें कि :

क) उत्तर तर्कसंगत और उपयुक्त है।

ख) वाक्यों और पैराग्राफों का स्पष्ट मेल है।

ग) आपकी अभिव्यक्ति में प्रस्तुतिकरण सही है।

3) **प्रस्तुतिकरण :** एक बार अपने उत्तर से संतुष्ट होने पर आप सत्रीय कार्य जमा कराने के लिए अंतिम रूप (पाठ) लिख सकते हैं। **अपनी लिखाई में सभी सत्रीय कार्य स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है।** यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप जिन बिन्दुओं पर जोर देना चाहते हैं, उनको रेखांकित कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में होना चाहिए।

शुभकामनाओं के साथ!

कार्यक्रम संचालक (डी.आई.पी.पी.)

बी.एल.ई.–001 : भारतीय विधि व्यवस्था का परिचय

पाठ्यक्रम कोड : बी.एल.ई.–001
सत्रीय कार्य कोड : बी.एल.ई.–001/टी.एम.ए./2021
अधिकतम अंक : 100

भाग –क

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के लगभग 150 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं।

1. अल्पसंख्यकों के अधिकार
2. पृथक्करणीयता का सिद्धांत
3. मंत्री परिसद
4. **गिरफतारी के दोरान उत्पीडन के विरूद्ध अधिकार**
5. अधीनस्त न्यायालय

भाग–ख

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मुख्य प्रावधान की चर्चा कीजिए।
7. भारत के संविधान में निर्धारित जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार (Right to Life and Personal Liberty) की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
8. भारतीय संविधान में उल्लिखित संविधानिक मूल्यो की चर्चा कीजिए।
9. संविधान में उल्लिखित राज्य के निति निदेशक सिद्धान्तो का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्या इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। चर्चा कीजिए।
10. लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। प्रतक्ष तथा अप्रतक्ष लोकतंत्र के बीच अन्तर स्पस्ट कीजिए।
11. उच्चतम न्यायालय के अपील संबंधी अधिकारो का वर्णन कीजिए।
12. धन विधेयक को परिभाषित कीजिए। संसद द्वारा इसे पारित करने की प्रकिया का वर्णन कीजिए।

भाग–ग

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं।

13. डाइसी के विधिशासन संबंधी विचार की चर्चा कीजिए। भारतीय संविधान में यह सिद्धांत कैसे समाविष्ट किया गया है।

14. मानव अधिकार को परिभाषित कीजिए। मानव अधिकारों को लागू करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत उपलब्ध तंत्र का वर्णन कीजिए।

15. भारत के संविधान मे उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार कीजिए।

16. विधिक सहायता क्या हैं। भारत में प्रचलित लोक अदालत व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए।

बी.एल.ई.–002 : कानून का परिचय

पाठ्यक्रम कोड : बी.एल.ई.–002
सत्रीय कार्य कोड : बी.एल.ई.–002/टी.एम.ए/2021
अधिकतम अंक : 100

भाग–क

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों का लगभग 150 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं।

1. क्षेत्रिय और धन संबंधी अधिकार क्षेत्र
2. प्रथम सूचना रिर्पोट
3. वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972
4. पुलिस के कर्तव्य।
5. औद्ययोगिक विवाद अधिनियम 1947

भाग–ख

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।

6. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनिय, 1948 के तहत कर्मचारी को उपलब्ध लाभों की चर्चा कीजिए।
7. प्रमाण के भार (burden of proof) को परिभाषित कीजिए। सिविल और आपराधिक मुकदमों में यह किस प्रकार भिन्न है?
8. उतराधिकार क्या है? निर्वसियतीय तथा वसियतीय उत्राधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए।
9. दिवानीवाद को परिभाषित कीजिए। दिवानी तथा अपराधिक दायित्वों मे अंतर स्पष्ट कीजिए।
10. भारत में पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में कानून की भूमिका की चर्चा कीजिए।
11. उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध तंत्र का वर्णन कीजिए।
12. संविदा की परिभाषा दीजिए। एक वैध संविदा के लिए आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिए।

भाग–ग

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं।

13. संयुक्त या समूह, अपराध की देयता को निर्धारित करने वाले सिद्धातों का वर्णन, निर्णय विधियों की सहायता से कीजिए।
14. सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानूनों की चर्चा कीजिए।
15. ''कम्पनी'' शब्द को परिभाषित कीजिए। यह साझेदारी, सीमित देयता साझेदारी और एकल स्वामित्व (limited liability partnership) से किस प्रकार अलग है?
16. अपकृत्य को परिभाषित कीजिए। अपकृत्य विधि के अंर्तगत सामान्य अपवादो की चर्चा कीजिए।

बी.एल.ई.–003 : विधि और संवेदनशील समूह

पाठ्यक्रम कोड : बी.एल.ई.–003
सत्रीय कार्य कोड : बी.एल.ई.–003/टी.एम.ए./2021
अधिकतम अंक : 100

भाग–क

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों पर लगभग 150 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं।

1. बाल श्रम की समस्या

2. लिंग रूढ़िबद्धता।

3. महिला कामगारों के अधिकार।

4. मानसिक स्वास्थ अधिनियम, 1987 के अंतर्गत मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के अधिकार।

5. पुनर्वास परिसद अधिनियम 1992।

भाग–ख

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।

6. कार्य स्थल में महिला यौन उत्पीडन के निवारण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की चर्चा कीजिए।
7. अनूसुचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्रमुख अपराधों की चर्चा कीजिए।
8. ऐसे क्षेत्र की पहचान कीजिए जहॉ पुरूषो की तुलना मे महिलाओं को नियमित रूप से समान कामकाज के लिए कम मेहनतानं अदा किया जाता है। इस संबंध में उपलब्ध कानूनी सुरक्षा पर प्रकाश डालिए।

9. बिकलांगता के अधिकार आधारित मोडल की व्याख्या कीजिए।

10. बाल अधिकार अभिसमय 1989 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

11. बिकलांगों के अधिकार संबधि अभिसमय 2006 पर एक नोट लिखिय

12. एच. आई.वी पीडित व्यक्तियों से संबंधित जानकारी उजागर करने से संबंधित मुददो की चर्चा कीजिए।

भाग–ग

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं।

13. बलात्कार और दहेज की चर्चा, महिलाओं के प्रति एक प्रकार की हिंसा के रूप में कीजिए। आपकी राय में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण क्या है?

14. बंधुआ मजदूरी को परिभाषित कीजिए। इसकी रोकथाम के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों की चर्चा कीजिए।

15. किशोर न्याय विधि के मुख्य प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए।

16. शिक्षा का अधिकार क्या हैं। यह अधिकार बच्चों के निः शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 द्वारा किस प्रकार सुनिचित किया गया है?

बी.एल.ई.–004 : ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

पाठ्यक्रम कोड : बी.एल.ई.–004
सत्रीय कार्य कोड : बी.एल.ई.–004/टी.एम.ए./2021
अधिकतम अंक : 100

भाग–क

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों पर लगभग 150 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं।

1. राज्य वित्त आयोग।
2. पंचायत के लेखा जोखा की लेखा परीक्षा।
3. न्यूनतम बेरोजगार भत्ता
4. जन जातिय समुहों के भूमि संबंधि अधिकार।
5. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति

भाग–ख

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।

6. स्वास्थ्य का अधिकार क्या है? उन अंतरराष्ट्रीय लिखतों (instruments) और संवैधानिक उपबंधों की चर्चा कीजिए जो इस अधिकार की गारंटी देते हैं।
7. ग्राम सभा की शक्तियों एवं प्रकार्यो का वर्णन कीजिए।
8. भूमि के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए।
9. भारत के संविधान के मछदेनजर सर्वोपरि अधिकार की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए।
10. जल कें अधिकार को परिभाषित कीजिए। इस अधिकार को देश के विभिन्न कानूनों द्वारा किस प्रकार संरक्षित किया गया है।

11. लघु वित्त को परिभाषित कीजिए। ग्रामीण अर्थव्यावस्था में इसके महत्व की चर्चा कीजिए।

12. राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की मुख्या विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

भाग–ग

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं।

13. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की अधिकार क्षेत्र एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए।

14. आवास के अधिकार को परिभाषित कीजिए। इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की समीक्षा कीजिए।
15. आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की आपदाओं की चर्चा कीजिए।
16. ग्राम पंचायतों के शक्तियों एवं कायी की चर्चा कीजिए।

बी.एल.ई.पी.–001 : परियोजना कार्य (**Project Work**)

प्रिय विद्यार्थी,
इस पाठ्यक्रम में आपको नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 4000 शब्दों में एक परियोजना (Project) लिखनी है और इसे अपने अध्ययन केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र में जमा कराना है। परियोजना लिखने से पहले आप अध्ययन सामग्री के साथ भेजी गई परियोजना दर्शिका बी.एल.ई.पी.–001 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कृपया निम्नलिखित पैराग्राफों को भी ध्यान से पढ़िए।

इस परियोजना को लिखने से पहले हमारा आपको सुझाव है कि आप निकटतम विधि पुस्तकालय (Law Library) में जाएँ। आप लॉ कालेजों, बार एसोसिएशनों आदि के पुस्तकालयों में इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अच्छे वकीलों के पास भी ऐसे पुस्तकालय हैं। इन पुस्तकालयों में आपको अधिनियम, व्याख्याएँ (commentaries), डायजेस्ट जर्नल (पत्र-पत्रिकाएँ) आदि मिलेंगे। महत्वपूर्ण जर्नल हैं–आल इंडिया रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट केसेज (SCC) आदि। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन जर्नल भी हैं जैसे मनुपत्र आदि। अनेक वेबसाइट भी उपलब्ध हैं जैसे indiacode.nic.in जिसमें आपको संसद के सभी अधिनियम मिल सकते हैं।

जर्नलों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूरे निर्णय है, निर्णय के आरंभ में दी गई मुख्य टिप्पणियों के आधार पर, आप अपनी परियोजना की विषयवस्तु (theme) के अनुसार उनका चयन कर सकते हैं। इसके बाद इन चुने हुए निर्णयों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन्हें पढ़ते हुए, उन तथ्यों तथा तर्कों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कीजिए जिन पर ये निर्णय आधारित हैं। परियोजना में हम आपसे निर्णयों का मूल विश्वलेषण प्रस्तुत करने की आशा करते हैं।

परियोजना के लिए विषय

1. भारत में कानूनी सहायता तंत्र
2. भोजन का अधिकार
3. बालश्रम की समस्या एवं भारत का सर्वोच्च न्यायालय
4. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा
5. असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के अधिकार
6. भारतीय कानूनों मे बिकलांग व्यक्तियों के अधिकार

किसी भी स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन के लिए, अपने अध्ययन केंद्र के परामर्शदाता अथवा कार्यक्रम संचालक (Programme Coordinator) से निस्संकोच संपर्क कीजिए।

शुभकामनाओं के साथ!

कार्यक्रम संचालक